रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 18, 2017/श्रावण 27, 1939
No. 705] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 18, 2017/SRAVANA 27, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2017

आय-कर

सा.का.नि. 1028(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 115जख की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (22वां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,-

(क) नियम 12 में उपनियम (2) के परंतुक में, ''धारा 115जख'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् ''या धारा 115जग'' शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपाबंध 2 में, ''प्ररूप सं0 29ख'' के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप सं0 29ख

[नियम 40ख देखिए]

कंपनी के बही लाभों की संगणना करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जख के अधीन रिपोर्ट

1. मैंने/हमने 31 मार्च, … … … … … … … … …को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बही लाभ निकालने के लिए.. के कारबार

[कारबार की प्रकृति]

में लगे...के लेखाओं और अभिलेखों की

[निर्धारिती का नाम और पता स्थायी खाता संख्यांक सहित]

परीक्षा की है ।

2. मैं/हम* यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि बही-लाभ की संगणना, इस धारा के उपबंधों के अनुसार दी गई है । निर्धारण वर्ष.............................के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन संदेय कर ....रु. है, जिसे इस प्ररूप के उपाबंध में दिए गए ब्यौरों के आधार पर अवधारित किया गया है ।

3. मेरी/हमारी* राय में और मेरी/हमारी* सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपाबंध में दी गई विशिष्टियां सही और ठीक हैं ।

स्थान :

तारीख :

....

अकाउन्टेंट के हस्ताक्षर और स्टांप/मुहर

हस्ताक्षरी का नाम :

पूरा पता :

सदस्यता सं. :

1. *जो लागू न हो, उसे काट दें ।

2. यह रिपोर्ट, चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थांतर्गत किसी चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा, जो उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय का विधिमान्य प्रमाणपत्र रखता है और धारा 288 की उपधारा (2) या निम्नलिखित स्पष्टीकरण के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति नहीं है, द्वारा दी जानी है ।

3. जहां इस रिपोर्ट में उल्लिखित किसी विषय या उत्तर नकारात्मक या किसी अर्हता (शर्त) के साथ दिया जाता है तो रिपोर्ट में उसके कारण बताए जाएंगे ।

उपाबंध

[पैरा 2 देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जख के प्रयोजनों के लिए बही लाभ की संगणना से संबंधित ब्यौरे

भाग क

साधारण – सभी कंपनियों को लागू

क्र.सं.	विशिष्टियां		
1.	निर्धारिती का नाम		
2.	पता		
3.	स्थायी खाता संख्यांक		
4.	निर्धारण वर्ष		
5.	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन कंपनी द्वारा अंगीकृत वित्तीय वर्ष		
6.	उक्त अधिनियम के अधीन कंपनी की कुल आय		
7.	कुल आय पर संदेय आयकर		
8.	क्या लाभ और हानि लेखा-विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की अनुसूची 3 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है		हां/नहीं
9.	जहां क्रम सं. 5 में ऊपर विनिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष वही संबद्ध पूर्ववर्ती वर्ष है, क्या ऊपर क्रम सं. 8 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा-विवरण में, लाभ-हानि तैयार करने संबंधी वही लेखाकर्म नीतियों, लेखा मानकों का और अवक्षयण का परिकलन करने संबंधी दरों की उसी पद्धति का अनुसरण किया गया है, जो कंपनी के वार्षिक साधारण अधिवेशन में उसके समक्ष रखे गए लेखाओं को तैयार करने के लिए अपनाई गई है, यदि नहीं तो अंतर की सीमा और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें (जहां यथा अपेक्षित हो कार्यकरण पृथकत: संलग्न करें)।		हां/नहीं/लागू नहीं
10.	जहां क्रम सं. 5 में विनिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष वही संबद्ध पूर्ववर्ती वर्ष नहीं है, क्या ऊपर क्रम सं. 8 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा-विवरण में, लाभ-हानि तैयार करने संबंधी वही लेखाकर्म नीतियों, लेखा मानकों का और अवक्षयण का परिकलन करने संबंधी दरों की उसी पद्धति का अनुसरण के लिए वित्तीय वर्ष के संबंधित भागों के लिए किया गया है, जो कंपनी के वार्षिक साधारण अधिवेशन में उसके समक्ष रखे गए लेखाओं को तैयार करने के लिए अपनाई गई है, यदि नहीं तो अंतर की सीमा और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें (जहां यथा अपेक्षित हो कार्यकरण पृथकत: संलग्न करें)।		हां/नहीं/लागू नहीं
11.	ऊपर क्रम सं. 8 में निर्दिष्ट लाभ और हानि के लेखा-विवरण अनुसार लाभ, क्रम सं. 9 में निर्दिष्ट रकम द्वारा, यथास्थिति, समायोजित या क्रम सं. 10 में, लेखे में अंतर के कारण, संकलित रकम।		
12.	जोड़िए : इस धारा की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) से खंड (ट) में विनिर्दिष्ट रकम या संकलित रकम (जहां अपेक्षित हो, कार्यकरण पृथकत: संलग्न करें)।		
13.	घटाइए : इस धारा की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) से खंड (viii) में विनिर्दिष्ट रकम या औसत रकम (जहां अपेक्षित हो, कार्यकरण पृथकत: संलग्न करें)।		
14.	जोड़िए/(घटाइए) : जहां कंपनी के वित्तीय लेखा-विवरण पूर्ववर्ती वर्ष या उसके किसी भाग के लिए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार किए		

	जाते हैं, वहां इस धारा की उपधारा (2ख) में यथा निर्दिष्ट समायोजनों की रकम (भाग ख के क्रम सं. 26 से रकम)		
15.	जोड़िए/(घटाइए) : जहां कंपनी के वित्तीय लेखा-विवरण पूर्ववर्ती वर्ष या उसके किसी भाग के लिए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार किए जाते हैं, वहां इस धारा की उपधारा (2ग) में यथा निर्दिष्ट समायोजनों की रकम (भाग ग के क्रम सं. 33 से रकम)		
16.	जोड़िए/(घटाइए) : किसी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष या पूर्ववर्ती वर्ष के लिए इस धारा की उपधारा (2 ग) के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के उपखंड (ख) से खंड (ड.) में विनिर्दिष्ट रकम या रकम का योग और ऐसी आस्तियों से या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विनिधान अपसरण, व्ययन, वसूल या अन्यथा अंतरित आस्ति ।		
17.	जोड़िए/(घटाइए) : किसी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष या पूर्ववर्ती वर्ष के लिए इस धारा की उपधारा (2 ग) के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के उपखंड (ख) से खंड (ड.) में विनिर्दिष्ट रकम या रकम का योग और ऐसे विदेशी क्रियाओं से संबंधित व्ययनित या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अन्यथा अंतरित		
18.	उपधारा (2) में दिए स्पष्टीकरण 1 की उपधारा के साथ पठित उपधारा (2क), उपधारा (2ख) और उपधारा (2ग), अनुसार यथा संगणित बही-लाभ (क्रम सं. 11 से 17 का कुल योग) ।		
19.	क्रम सं 18 में यथा संगणित "बही-लाभ" का 18.5 प्रतिशत ।		
20.	जहां क्रम सं. 7 में विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा संदेय आयकर, क्रम सं. 18 में उपदर्शित इसके बही-लाभ से 18.5 प्रतिशत से अन्यून है, वहां कंपनी द्वारा संदेय आयकर क्रम सं. 18 का 18.5 प्रतिशत होगा, अर्थात् क्रम सं. 19 के अनुसार ।		

भाग ख

धारा 115 ञख की उपधारा (2क) के अनुसरण में बढ़ाए या घटाए जाने के लिए अपेक्षित रकम के ब्यौरे

(केवल वहां लागू होगा जहां कंपनी का वित्तीय विवरण पूर्ववर्ती वर्ष या उसके किसी भाग के लिए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबद्ध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में तैयार किया जाता है)

क्रम सं.	**विवरण**			
21	इस धारा की उपधारा (2ग) के स्पष्टीकरण के खंड (i) में यथा परिभाषित अभिसरण का वर्ष			
22	अभिसरण की तारीख			
23	लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय में जमा कुल रकम			
24	लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय में विकलित कुल रकम			
25	इस धारा की उपधारा (2क) में निर्दिष्ट वृद्धि या कमी			
	(i)	शीर्षक "मद जो लाभ या हानि के लिए पुन:वर्गीकृत नहीं की गई है" के अधीन अन्य व्यापक आय में जमा रकम के लेखें वृद्धि		
	(ii)	शीर्षक "मद जो लाभ या हानि के लिए पुन:वर्गीकृत		

		नहीं की गई है" के अधीन अन्य व्यापक आय में जमा रकम के लेखें कमी		
	(iii)	भारतीय लेखा मानक 10 के उपाबद्ध क के अनुसरण में निर्विलयन शेयरधारकों की गैर नकद आस्तियों के वितरण पर लाभ और हानि के कथन में विकलित रकम या रकम के योग्य के लेखें में वृद्धि		
	(iv)	भारतीय लेखा मानक 10 के उपाबद्ध क के अनुसरण में निर्विलयन शेयरधारकों की गैर नकद आस्तियों के वितरण पर लाभ और हानि के कथन में जमा रकम या रकम के योग्य के लेखें में कमी		
	(v)	उप-योग {(i)-(ii)+(iii)-(iv)}		
	(vi)	आस्तियां जिसके अंतर्गत उपरोक्त मद (i) या (ii) भी है के पुनर्मूल्यांकन अधिशेष के लेखें में वृद्धि या कमी		
	(vii)	भारतीय लेखा मानक 109 जिसके अंतर्गत उपरोक्त मद (i) या (ii) भी है के अनुसरण में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर अभिहित साधारण शेयर में निवेश से लाभ या हानि की रकम के लेखें वृद्धि या कमी		
	(viii)	पूर्व के वर्ष या पूर्ववर्ष के किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए और पूर्ववर्ष के दौरान निवृत्त, निपटाए गए, आप्त या अन्यथा अंतरित ऐसी आस्तियों या निवेश के संबंध में इस धारा की उपधारा (2क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट रकम या रकम के योग के लेखें वृद्धि या कमी		
26		कुल {(v) से (v iii)} भाग क के क्रम संख्या 14 में ले जाने के लिए राशि		

भाग ग

धारा 115 जख की उपधारा (2ग) के अनुसरण में बढ़ाए या घटाए जाने के लिए अपेक्षित रकम के ब्यौरे

(केवल वहां लागू होगा जहां कंपनी का वित्तीय विवरण पूर्ववर्ती वर्ष या उसके किसी भाग के लिए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबद्ध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में तैयार किया जाता है)

(अभिसरण के वर्ष के लिए और केवल आगामी चार पूर्व वर्षों के लिए भरा जाना)

क्रम सं.	**विवरण**			
27	इस धारा की उपधारा (2ग) के स्पष्टीकरण के खंड (i) में यथा परिभाषित अभिसरण का वर्ष			
28	अभिसरण की तारीख			
29	अन्य साधारण शेयर (जिसके अंतर्गत पूंजी आरक्षित और प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित भी है) में समायोजित रकम या रकमों का योग			
30	के द्वारा बढ़ाया या घटाया जाना			
	(i)	पूंजी आरक्षित में समायोजित रकम या रकमों का योग		
	(ii)	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित में समायोजित रकम या रकमों का योग		
	(iii)	अभिसरण तारीख जो पुन:वर्गीकृत लाभ या हानि के		

		पश्चातवर्ती होगी पर अन्य व्यापक आय में समायोजित रकम या रकमों का योग		
	(iv)	अभिसरण की तारीख पर समायोजित भारतीय लेखा मानक 16 और भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसरण में आस्तियों के लिए पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में समायोजित रकम या रकमों का योग		
	(v)	अभिसरण की तारीख पर समायोजित भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसरण में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर अभिहित साधारण शेयर लिखत में निवेश से लाभ या हानि		
	(vi)	अभिसरण की तारीख पर समायोजित भारतीय लेखा मानक 101 के पैरा घ5 और घ7 के अनुसरण में मानी गई लागत के रुप में उचित मूल्य पर अभिलिखित प्लांट और उपस्कर संपत्ति तथा आमूर्त आस्तियों के मदों से संबंधित समायोजन		
	(vii)	अभिसरण की तारीख पर समायोजित भारतीय लेखा मानक 101 के पैरा घ 15 के अनुसरण में मानी गई लागत के रुप में उचित मूल्य पर अभिलिखित समनुषंगी, सहउद्यम और सहयुक्त कंपनी में निवेश के संबंध में समायोजन		
	(viii)	अभिसरण की तारीख पर समायोजित भारतीय लेखा मानक 101 के पैरा घ 13 के अनुसरण में विदेशी प्रचालन संचयी भाषांतर भिन्नता के संबंध में समायोजन		
	(ix)	अन्य कोई समायोजन (जो विनिर्दिष्ट किया जाए)		
31	योग {29+/ (-) 30 से (i) से (ix)}			
32	क्रम संख्या 31 का 1/5वां (भाग क के क्रम संख्या 15 में ले जाने के लिए राशि)			
33	संक्रमण रकम के लिए समायोजन के ब्यौरे			
	(i)	कुल संक्रमण रकम		
	(ii)	पूर्ववर्ती वर्ष के अव्यवहित तक समायोजित रकम या रकमों का योग		
	(iii)	इस वर्ष समायोजित रकम		
	(iv)	पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) में समायोजित की जाने वाली रकम।"।		

[अधिसूचना सं. 80/ 2017/फा. सं. 133/23/2015-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधायन)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 891(अ) तारीख 18 जुलाई, 2017 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2017

INCOME-TAX

G.S.R. 1028(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 115JB read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely;—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (22nd Amendment), Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, —

(A) in rule 12, in sub-rule (2), in the proviso, after the words, figures and letters "section 115JB", the words, figures and letters "section 115JC" shall be inserted;

(B) in Appendix II, for the 'Form No. 29B', the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM NO.29B

[See rule 40B]

Report under section 115JB of the Income-tax Act, 1961 for computing the book profits of the company

1. I/We* have examined the accounts and records of (name and address of the assessee with PAN)______ engaged in business of (nature of business) in order to arrive at the book profit during the year ended on the 31st March,_______.

2. I/We*certify that the book profit has been computed in accordance with the provisions of this section. The tax payable under section 115JB of the Income-tax Act in respect of the assessment year (……………) is Rs.,_________which has been determined on the basis of the details provided in Annexure appended to this Form.

3. In my/our*opinion and to the best of my/our* knowledge and according to the explanations given to me/us* the particulars given in the Annexure are true and correct.

Place:

Date:

(Signature and Stamp/Seal of the Accountant)

Name of the Signatory:

Full Address:

Membership No:

1. *Delete whichever is not applicable.
2. This report is to be given by a chartered accountant, within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), who holds a valid certificate of practice under sub-section (1) of section 6 of that Act and is not a person referred to in clause (a) or clause (b) of the Explanation below sub-section (2) of section 288.
3. Where any of the matter stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons therefor.

ANNEXURE

[See paragraph 2]

Details relating to the computation of Book Profits for the purposes of section 115JB of the Income-tax Act, 1961

Part A
General – Applicable to all the companies

Sl. No	Particulars		
1.	Name of the assessee.		
2.	Address.		
3.	Permanent Account Number.		
4.	Assessment year.		
5.	Financial year adopted by the company under the Companies Act, 2013 (18 of 2013).		
6.	Total income of the company under the Act.		
7.	Income-tax payable on total income.		
8.	Whether statement of profit and loss is prepared in accordance with the provisions of Schedule III to the Companies Act, 2013 (18 of 2013).		Yes / No
9.	Where the financial year referred to in Sl. No. 5 above is same as the relevant previous year, whether the statement of profit and loss referred to in Sl. No. 8 above has followed the same accounting policies, accounting standards for preparing the statement of profit and loss and the same method of rates for calculating depreciation as have been adopted for preparing accounts laid before the company at its annual general meeting? If not, the extent and nature of variation be specified (attach working separately, where required).		Yes / No / Not Applicable
10.	Where the financial year referred to in Sl. No. 5 is not the same as the relevant previous year, whether the statement of profit and loss referred to in Sl. No. 8 above has followed the same accounting policies, accounting standards for preparing the statement of profit and loss and the same method of rates for calculating depreciation as have been adopted for preparing accounts for the respective parts of the financial year laid or to be laid before the company at its annual general meeting? If not, the extent and nature of variation be specified (attach working separately, where required).		Yes / No / Not Applicable
11.	Profit according to statement of profit and loss referred to in Sl. No. 8 above as adjusted by the amount or aggregate of amounts on account of variations referred to in Sl. No 9 or Sl. No. 10, as the case may be.		
12.	Add: Amount or aggregate of amounts referred to in clauses (a) to (k) of *Explanation 1* to sub-section (2) of this section (attach working separately, where required).		
13.	Less: Amount or aggregate of amounts referred to in clauses (i) to (viii) of *Explanation 1* of sub-section (2) of this section (attach working separately, where required).		
14.	Add/(Less): Amount of adjustments as referred to in sub-section (2A) of this section where the financial statements of the company are drawn up in compliance with the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 for the previous year or any part thereof(amount from Sl. No 26 of Part B).		
15.	Add/(Less): Amount of adjustments as referred to in sub-		

Sl. No	Particulars		
	section (2C) of this section where the financial statements of the company are drawn up in compliance with the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 for the previous year or any part thereof (amount from Sl. No 33 of Part C).		
16.	Add/(Less): Amount or aggregate of the amounts referred to in the sub-clauses (B) to (E) of clause (iii) of Explanation to sub-section (2C) of this section for the previous year or any of the preceding previous years and relatable to such asset or investment retired, disposed, realised or otherwise transferred during the previous year (attach working separately, where required).		
17.	Add/(Less): Amount or aggregate of the amounts referred to in the sub-clause (F) of clause (iii) of *Explanation* to sub-section (2C) of this section for the previous year or any of the preceding previous years and relatable to such foreign operations is disposed or otherwise transferred during the previous year (attach working separately, where required).		
18.	Book profit as computed according to *Explanation 1* given in sub-section (2) read with sub-sections (2A), (2B) and (2C) (total of Sl. No. 11 to 17).		
19.	18.5 per cent of "book-profit" as computed in Sl. No. 18.		
20.	In case income-tax payable by the company referred to at Sl. No. 7 is less than 18.5 per cent of its book profits shown in Sl. No. 18, the amount of income-tax payable by the company would be 18.5 per cent of Sl. No. 18, i.e., as per Sl. No 19.		

Part B

Details of the amount required to be increased or decreased in accordance with sub-section (2A) of section 115JB

[Applicable only where the financial statements of the company are drawn up in compliance with the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 for the previous year or any part thereof]

Sl. No	Particulars			
21.	Year of convergence as defined in clause (i) of *Explanation* to sub-section (2C) of this section.			
22.	Convergence date.			
23.	Total amount credited to the other comprehensive income in the statement of profit and loss.			
24.	Total amount debited to the other comprehensive income in the statement of profit and loss.			
25.	Increase or decrease referred to in sub-section (2A) of this section			
	(i)	increase on account of amounts credited to other comprehensive income under the head "Items that will not be re-classified to profit or loss".		
	(ii)	decrease on account of amounts debited to other comprehensive income under the head "Items that will not be re-classified to profit or loss".		
	(iii)	increase on account of amounts or aggregate		

		of amounts debited to the statement of profit and loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger in accordance with Appendix A of the Indian Accounting Standard 10.		
	(iv)	decrease on account of amounts or aggregate of amounts credited to the statement of profit and loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger in accordance with Appendix A of the Indian Accounting Standard 10.		
	(v)	Sub-total [(i) –(ii) + (iii) – (iv)]		
	(vi)	Increase or decrease on account of amount of revaluation surplus of assets included in item (i) or (ii) above.		
	(vii)	Increase or decrease on account of amount of gains or losses from investments in equity instruments designated at fair value through other comprehensive income in accordance with Indian Accounting Standards 109 included in item (i) or (ii) above.		
	(viii)	Increase or decrease on account of amount or aggregate of the amounts referred to in the first proviso of sub-section (2A) of this section for the previous year or any of the preceding previous years and relatable to such asset or investment retired, disposed, realised or otherwise transferred during the previous year.		
26		Total [(v) to (viii)] (amount to be carried to Sl. No. 14 of Part A.).		

Part C

Details of the amount required to be increased or decreased in accordance with sub-section (2C) of section 115JB

[Applicable only where the financial statements of the company are drawn up in compliance with the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 for the previous year or any part thereof]

[To be filled up for the year of convergence and each of the following four previous years only]

Sl. No.	Particulars			
27.	Year of convergence as defined in clause (i) of Explanation to sub-section (2C) of this section.			
28.	Convergence date.			
29.	Amount or the aggregate of the amounts adjusted in the other equity (including capital reserve and securities premium reserve).			
30.	To be increased or decreased by:-			
	(i)	amount or aggregate of amounts adjusted in Capital reserve.		
	(ii)	amount or aggregate of amounts adjusted in Securities premium reserve.		
	(iii)	amount or aggregate of amounts adjusted in the other comprehensive income on the convergence date which shall be subsequently reclassified to profit or loss.		
	(iv)	amount or aggregate of amounts adjusted in Revaluation surplus for assets in accordance with the Indian Accounting Standards 16 and Indian Accounting		

		Standards 38 adjusted on the convergence date.		
	(v)	gains or losses from investment in equity instruments designated at fair value through other comprehensive income in accordance with Indian Accounting Standards 109 adjusted on the convergence date.		
	(vi)	adjustments relating to items of property plant and equipment and intangible assets recorded at fair value as deemed cost in accordance with paragraphs D5 and D7 of the Indian Accounting Standards 101 on the convergence date.		
	(vii)	adjustments relating to investments in subsidiaries, joint ventures and associates recorded at fair value as deemed cost in accordance with paragraph D15 of the Indian Accounting Standard 101 on the convergence date.		
	(viii)	adjustments relating to cumulative translation differences of a foreign operation in accordance with paragraph D13 of the Indian Accounting Standard 101 on the convergence date.		
	(ix)	any other adjustment (to be specified).		
31.		Total [29 +/ (-) 30 (i) to (ix)].		
32.	1/5th of the Sl. No 31(amount to be carried to Sl. No. 15 of Part A).			
33.	Details of adjustment for transition amount.			
	(i)	Total transition amount.		
	(ii)	Amount or aggregate of amounts adjusted till immediately preceding year.		
	(iii)	Amounts adjusted in this year.		
	(iv)	Amount to be adjusted in the subsequent year(s).”.		

[Notification No. 80/2017/F. No. 133/23/2015-TPL]

PRAVIN RAWAL, Director (Tax Policy and Legislation)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 969(E), dated the, 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number GSR No 891 (E) dated the 18.07.2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.21 12:21:57 +05'30'